



2026:AHC:24949-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या – 1640/2026

राम अवतार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमन पटेल, नीरज सिंह यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका में दिनांक 09.12.2025 की प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई है, जिससे पुलिस स्टेशन- चंदौली, जनपद- चंदौली में केस अपराध संख्या 0361 वर्ष 2025, उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम की धारा 3/5A/8, 5 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत मामला उत्पन्न हुआ है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी शिकायत योग्य अपराध प्रकट नहीं होता है, और इस प्रकार, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता उस वाहन का स्वामी है, जिसमें कथित तौर पर बिना किसी वैध परमिट के आठ पूर्ण विकसित मवेशियों का परिवहन किया जा रहा था।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया शिकायत योग्य अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी (2017) 2 एससीसी 779 और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 के मामले में निर्धारित कानून के आलोक में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय क्रिमिनल अपील संख्या 843 वर्ष 2024 प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य के दृष्टिगत प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए विरोधी तर्कों पर विचार करने के उपरांत और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता उस वाहन का स्वामी है जिसमें बिना किसी वैध परमिट के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आठ पूर्ण विकसित मवेशियों का परिवहन किया जाना कथित है, और इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून तथा इस तथ्य के दृष्टिगत कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारी यह राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता।

7. अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

8. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्र विचार कर निस्तारण किया जाए।

9. इन टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

4 फरवरी, 2026

के.यू.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"